न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—01/2015/75 (2015/00054)

1. सांवरलाल उर्फ सांवतराम पुत्र पांचूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम मांगलियावास, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. हरीश चन्द्र पुत्र जवाहरमल, जाति जाट,
2. हरनाथ पुत्र जवाहरमल,जाति जाट,
3. जीवन पुत्र श्योबस, जाति जाट,
4. मुन्नालाल पुत्र रामकरण, जाति जाट,
5. बाबूलाल पुत्र नारायण, जाति प्रजापत,
6. महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा,
   समस्त निवासीगण ग्राम मांगलियावास, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन,जिला अजमेर ।
8. पांचूराम पुत्र गंभीरा, जाति जाट, नि0 मांगलियावास, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, शहर, अजमेर दिनांक 19.12.2014 अंतर्गत प्रकरण संख्या नया 8/2012 (पुराना 15/2011).

उपस्थितः—

1. श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6.
3. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या8.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 7.

निर्णय

दिनांकः—20.12.2018

1. यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, शहर, अजमेर के आदेश दिनांक 19.12.2014 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) (राजस्थान भू—राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 25.5.1984 को आयोजित राजस्व कैम्प मांगलियावास में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर सांवताराम पुत्र पांचू जाति जाट निवासी मांगलियावास के पक्ष मे ग्राम मांगलियावास स्थित सिवायचक आराजी खसरा संख्या 1162 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है । उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे । विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर),अजमेर ने दिनांक 19.12.2014 को आदेश पारित कर रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) स्वीकार कर अपीलांट के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 25.5.1984 खसरा नंबर 1162 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा को निरस्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस

निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांट ग्राम मांगलियावास का स्थायी निवासी होकर सद्भाविक कृषक है जिसे आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम मांगलियावास स्थित खसरा नंबर 1162 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 4 बीघा 1 बिस्वा का विधिपूर्वक आवंटन किया गया है । आवंटन दिनांक से आवंटी/अपीलांट विवादित भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चला आ रहा है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि ग्रामवासियान व ग्राम पंचायत द्वारा कभी भी आवंटित भूमि को रास्ते के प्रयोग में आने तथा उक्त आवंटन आदेश से किसी रास्ते की भूमि अवरूद्ध होने बाबत् कभी भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है । रेस्पा0 संख्या 1 अपीलांटस से पारिवारिक द्वेषता रखता है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो आधारहीन है । रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) अपूर्ण था क्योंकि उक्त प्रार्थ्ज्ञना पत्र मीमों के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक व उनके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये जो कि आवश्यक थे इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या 1 के अलावा शेष रेस्पोडेंटस के अभिभाषक पत्र पर हस्ताक्षर भी नहीं थे ऐसी स्थिति में रेस्पो0 का प्रार्थना दोषपूर्ण था । इस संबंध में अपीलांट ने अधी0न्याया0 को जवाब प्रस्तुत कर अवगत करवा दिया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्य को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पोडंटस द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कहीं पर भी अंकित नहीं किया था कि विवादित आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है किन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने विवादित आराजी को राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप होने का आधार लेकर अपीलांट के आवंटन आदेश को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1162 में आवंटनशुदा रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा के राजस्व नक्शा ट्रेस 1981–82 को दुरूस्त करवाकर नक्शाशीट 1970–71 के अनुसार दुरूस्ती हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष राजस्व वाद संख्या 3/2010 बउनवानी सांवतराम उर्फ सांवरलाल बनाम भू–प्रबंध व अन्य विचाराधीन है । इसी प्रकार उक्त आराजी के संबंध में न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी एल0आर0एक्ट सांवतराम उर्फ सांवरलाल बनाम राज0 सरकार विचाराधीन होकर प्रकरण में स्थगन आदेश भी प्रभावी है । इन समस्त तथ्यों से अपीलांट ने अधी0न्याया0 को अवगत करवा दिया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलांट का आवंटन आदेश खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर अतिरिक्त कथन में उक्त प्रकरण के संबंध में आपत्तियां पेश की थी जिनका रेस्पो0 द्वारा किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया एवं न ही प्रतिउत्तर में कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत की गई । अधी0न्याया0 ने अपीलांट की आपत्तियों को निस्तारित किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलांट के पक्ष में जारी आवंटन आदेश दिनांक 25.5.1984 को बहाल रखा जावे ।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 ने जवाब बहस में कथन किया कि विवादित भूमि मौके पर रास्ते के रूप में जिस पर ग्रामवासियान अपने खेतों पर आने–जाने हेतु उपयोग में ले रहे हे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि आवंटी ने तथ्य छिपाकर आवंटन कराया है, आवंटी भूमिहीन कृषक नहीं है उसके पिता के पास पहले से 58 बीघा भूमि है जिससे वह भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आने से आवंटन का पात्र नहीं था । विवादित भूमि भू–प्रबंध विभाग द्वारा राजस्व नक्शो में रास्ते के रूप में दर्शाई गई है जिससे विवादित भूमि रास्ते की होने से आवंटन योग्य नहीं थी । विवादित भूमि सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में आने से तथा आवंटन योग्य नहीं होने के बावजूद अपीलांट के पक्ष में किया गया आवंटन विधिसम्मत् नहीं पाये जाने पर विद्वान अधी0न्याया0 ने अपीलांट का आवंटन निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आवंटित भूमि काश्तकारों के खेतों में आने–जाने के रूप में उपयोग में आ रही है । हम विद्वान अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से भी सहमत है कि विवादित आवंटित राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों दिशाओं में आवंटन न किये जाने वाले निषेध क्षैत्र का भाग है जिससे धारा 16 राज0काश्त0अधि0 के तहत विवादित भूमि आवंटन योग्य नहीं थी। रेस्पो0 के कथन से इस बात की पुष्टि होती है कि विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग की होकर ग्रामवासियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जा रही है जिससे विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग की होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलांट के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, शहर, अजमेर का आदेश दिनांक 19.12.2014 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, शहर, अजमेर का आदेश दिनांक 19.12.2014 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 20.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर